कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

(द्वितीय तल जी.डी.ए. बिल्डिंग, 1, रवि नगर ग्वालियर)
ई–मेल– gwalior@mptownplan.gov.in

क्रमांक / 1514 / स्था / नग्रानि / 2023 ग्वालियर, दिनांक 18.08.2023

संक्षिप्त निविदा सूचना

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाताओं के दिनांक 25.08.2023 सांय 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा जमा की जायेगी जो उसी दिन सांय 4.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं होंगी।

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की समस्त शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी दिन कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से राशि रू0 200.00 का ई–चालान साईबर ट्रेजरी से लेखाशीर्ष 0217–60–800–0171 में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। वाहन किराये पर लेने हेतु शर्ते संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेंश म0प्र0 भोपाल की बेवसाईट– mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

(द्वितीय तल जी.डी.ए. बिल्डिंग, 1, रवि नगर ग्वालियर)
ई–मेल– gwalior@mptownplan.gov.in

क्रमांक / 1564 / स्था / नग्रानि / 2023 ग्वालियर, दिनांक 18.08.2023

वाहन किराये पर लेने हेतु निर्धारित शर्तें

1. वाहन किराए पर देने हेतु अनुबंध के साथ राशि रुपये 5000/– की प्रतिभूति एफ.डी./किसान विकास पत्र/इंदिरा विकास पत्र के रुप में कार्यालय में जमा करनी होगी। अनुबंध पूर्ण होने पर यह वापस लौटा दिया जायेगा लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने पर यह राशि जब्त की जाएगी।
2. निविदा हेतु मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाये ।
3. यह अनुबंध 11 माह के लिये मान्य होगा एवं कार्य संतोषप्रद होने पर बर्षानुवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक कार्यालय प्रमुख द्वारा बढाया जा सकेगा ।
4. म0प्र0शासन वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ–11–16/2012/नियम/चार भोपाल दिनांक 28.12.2017 अनुसार वाहन की अधिकतम लागत सीमा 6.50 लाख (Ex-Show room Price)से अधिक नही होना चाहिये ।
5. परिवहन नियमों का उल्लंघन कर वाहनों के संचालन या किसी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी वैधानिक स्थितियों में किसी भी प्रकार का जुर्माना की राशि भरने या अन्य कोई कार्यवाही होने के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. वाहन मध्यप्रदेश राज्य में आर.टी.ओ. कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होनी चाहिए। वाहनों के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
7. अनुबंध अवधि के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल के दामों में वृद्धि होती है तो निविदा में दी गई राशि एवं अवधि के दौरान अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होंगी।
8. वाहन पूरे माह के लिए हर दिन बिना किसी अवकाश के दिन सामान्यतः प्रातः 9.30 बजे से सांय 7.30 तक 10 घण्टे तक के लिए देना होगा। रात को वाहन सेवा अवधि में वाहन कार्यालय प्रभारी अधिकारी के अधिपत्य में रहेगा तथा वाहन खराब होने अथवा मरम्मत के लिए ले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में दूसरा वाहन उपलब्ध कराए जाने पर ही वाहन को छोडा जाएगा। वाहन मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय वाहन प्रदायकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा इस पर कार्यालय कोई अतिरिक्त राशि नहीं देगा।
9. वाहनों के किलोमीटर की गणना संबंधित उपयोगकर्ता अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र अथवा विधिवत रुप से भरी गई लॉगबुक में हस्ताक्षर उपरान्त ही मान्य होगा।

10. सभी वाहनों की कॉम्प्रीहेन्सिव बीमा, प्रदूषण मानक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, GST पंजीयन कामर्शियल उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेन्स/प्रमाणपत्र, रोड टैक्स सर्विस टैक्स अदा करने व उसे अद्यतन रखने की जिम्मेदारी ट्रेवल्स की होगी।

11. वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज वाहन के साथ रखना अनिवार्य होगा तथा उसकी एक फोटोप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन जब्त होने की दशा में वाहन मालिक को सूचना देकर मासिक किराए का भुगतान बंद कर दिया जाएगा।

12. यदि किसी विशेष कारणों से वाहन अथवा चालक किसी दिन उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसे हर एक दिवस की अनुपलब्धता के लिए देय राशि में से दो गुना प्रतिदिन की राशि निकाल कर उसकी कटौती कर दी जाएगी। लेकिन बार–बार पुनरावृत्ति होने पर धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध को निरस्त कर दिया जायेगा।

13. वाहन में हमेशा टूल्स एवं स्टेफनी होना आवश्यक है। वाहन हमेशा सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए एवं वाहन के चारों टायर ट्यूब अच्छी क्वालिटी व सुरक्षा के मानक के अनुसार होना अनिवार्य है।

14. वाहन किराए पर लेने हेतु तय नियमों एवं शर्तों में संशोधन का अधिकार कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश ग्वालियर का होगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र ग्वालियर माना जायेगा।

16. निविदा के साथ उपरोक्त वर्णित नियम एवं शर्त वाहन प्रदाय करने की दिनांक से लागू होगें।

17. निविदा के साथ रु0 2000/– (रुपये दो हजार) का बैंक ड्राफ्ट या नगद कार्यालय में जमा करने होंगे जो निविदा खुलने पर लौटाई जायेगी।

18. कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यक्षेत्र ग्वालियर एवं चम्बल संभाग रहेगा, जिसके लिये वाहन किराये पर लिया जार रहा है।

सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
ग्वालियर (म.प्र.)